



Director
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Government of India
Regional Office (Central Region)
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Allganj
Lucknow-226024

Date: 30.12.16

Sub: Submission of Six Monthly Compliance Report for the period April -2016 to September-2016 due in December-2016 of Conditions stipulated in Environmental Clearance letter of the construction of Residential Township "Saga City" at Village Shahpur, Bamheta, NH-24, Ghazlabad being developed by M/s Saamag Construction Limited.

Reference: Environmental Clearance Letter No. 21-319/2007-IA.III dated 26 December 2007.

Dear Sir,

With reference to the submission of Six Monthly Compliance Report of the Conditions/Safeguards obtained vide Environmental Clearance Letter No. 21-319/2007-IA.III dated 26 December 2007 for the construction of Residential Township "Saga City" at village Shahpur, Bamheta, NH-24, Ghazlabad being developed by M/s Saamag Construction Limited.

In this regard, we would like to inform you that part of our project has been completed and rest is under construction. As per the conditions laid down in the Environmental Clearance letter, we are hereby submitting the Six Monthly Compliance Report for the period April -2016 to September-2016 due in December-2016 along with all the requisite annexure and soft copy(CD) as per the guidelines of Ministry of Environment, Forest & Climate Change.

Thanking You,
Yours Faithfully,

For M/s Saamag Construction Limited

(Authorized Signatory)

Name: Umesh Kumar

Contact No.: 8527822778

Email Id: Umesh.Sharma@saagroup.com

उमेश कुमार

PM
02-1-17

Copy to:

Secretary,

State Level Environment Impact Assessment Authority, U.P.,
Directorate of Environment, U.P.

Dr. Bhim Rao Ambedkar Paryavaran Parlsar,
Vineet Khand-I, Gomti Nagar, Lucknow-226010.

For Saamag Realty Private Limited

Regd. Office :

B-67, Sarita Vihar,

New Delhi - 110 076

Ph: +91-11-26952110

Fax: +91-11-26952114

B-72, Sector 57, NOIDA - 201 301

Ph: +91 120 471 1111, 435 6666

Fax: +91 120 471 1100/22

E-mail: info@saamag.com

website : www.saamag.com





डॉ. अशोक गुप्ता

प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरी विभाग

Dr. Ashok Gupta

Professor, Department of Civil Engineering

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

हौज खास, नई दिल्ली - 110 016 (भारत)

Hauz Khas, New Delhi - 110 016 (India)

दूरभाष / Tel.: 91-11-2659 1194 (O)

91-11- 2659 1993 (R)

फैक्स / Fax : 91-11-2658 1117, 26582037

E-mail : ashokg@civil.iitd.ac.in

Subject: Structural Proof Consultancy Ebony Green III (S+8) & Community Center, Crescent Parc, Vill. Shahpur Bamheta, Ghaziabad

The submission stage structure design and drawings of Ebony Green-III-(S+8) & Community Center, Crescent Parc, Vill. Shahpur Bamheta, Ghaziabad, (UP) have been checked and the framing plan is approved. The structural design and good-for construction drawings shall be approved in due course of time after detailed checking.


Ashok Gupta 12/05/17
Prof. Ashok Gupta
Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology Delhi
Hauz Khas, New Delhi-110016 (India)

For Sare Saamag Realty Private Limited


Authorised Signatory

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ३०/६/२०१० तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

समस्तु मित्रेण

भूमांकन सं

/एन ओ. सी.

तद दिनांक

मार्गदर्शन

१. महाप्रबन्धक, डिप्टी उद्योग बोर्ड

गाजियाबाद

२. अध्यक्ष अतिवारी एड एम एम विन एन बोर्ड

गाजियाबाद

३. क्षेत्रीय प्राधिकारी, उ ए प्र एम विन एन बोर्ड

गाजियाबाद

४.

For Sare Saamar Realty Private



Authorised Signatory

मुख्य परामर्शक अधिकारी

२

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

‘पिकप’ भवन तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या 15667 /सी-१/एन०ओ०सी०/जी- ६१७/२००९ दिनांक 10-11-2009

‘‘ရဲရဲ ရဲ’’

સા. નં. ૧૩૩૩, સાચું કંસદ્વયશ લિમિટેડ, ...

एतत्तु तद्विषयः तदा, तद्विषयः,

U. E. S., 1922-23, 1923-24,

बोधद्वय २०२३.१३

[illegible]

2007

कृषक सम्प्रदाय विचारक अपने अपने-अपने दिनोंक..... कृषक का समर्थ हो। उनके अपने-अपने विचार किया गया है तथा कृषक सम्प्रदाय ही एक एकतावादी एवं पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से मित्रातिथिवादी मित्रता वाली एवं सामाज्य वाली (सहज-तः) एक संपूर्ण अनुशासन के साथ राष्ट्रीय अग्रगण्य स्वीकृत की जाती है।

४. उपरोक्त प्रमाण पर विचारितकर, जलियाँ (1947) के लिए ही निर्णय किया जा रहा है :

(ग) २५००० रिता दलजसिप, प्रम मरुपु, कनहेर, २५०१६-२४

गणेशाय नमः ॥ १२, १, १९९९ ॥

(क) उत्साहनाम २०३ विना, २४० एस०आई०जी०, २४० ई० डब्लू एस, २०४७ फालोर्ट की
आवश्यक कमोती, टकूल, शक्तिग काम्पलेक्स, कलव

For Sare Saamag Realty

Authorised Signatory

Signature

For Sare Saamag Realty Private Limited
Authorised Signatory

(1) मुख्य कार्य माल

उत्पन्न नहीं

(2) औद्योगिक उत्पादक की माल

शून्य

(3) प्रयुक्त ईंधन सी०जी०रोर हेतु सीजन आवश्यकतानुसार

अपर्याप्त निम्न वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

1. उद्योग में सभी आवश्यक वस्तु 2 पर, जहाँ भी आवश्यक, उत्पादक सुविधिकरण संबंधित तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में भी सभी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
2. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन जब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से ज्ञात एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न करे। वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निश्चित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन के उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अग्रस्त हो जाय कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त को अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
3. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूरे हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

For Sare Saamag Realty Private Limited

Authorised Signatory

